

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1092 / 2011 जिला जोधपुर

उनवान— महेश फूड प्रोडक्ट, जोधपुर बनाम सीटीओ, वृत्त—सी, जोधपुर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्र व तारी अहकाम जो : हुक्म की तार्म गें जारी हुए
16.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.औझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना—पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते हैं, एवं विवादित राशि जमा करवा दी है इस हेतु अपीलार्थी अभिभाषक प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 1092 / 2011 / जोधपुर को विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मनोहर पुरी) सदस्य</p>	